# ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों व महिलाओं का पोषण जरूरी

लखनऊ । सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन द्वारा दो दिवसीय (27-28 जून 2022) क्षेत्रीय कंसल्टेशन का आयोजन होटल दयाल पैराडाइस लखनऊ उत्तर-प्रदेश में किया गया जिसका विषय - भारत के ईंट भट्ठों में कार्यरत महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों के स्वास्थ्य, पोषण और श्रम अधिकारों का संवर्धन था!

यह कंसल्टेशन उत्तर प्रदेश (मथुरा) और राजस्थान (अजमेर और राजस्थान) के ईंट भट्ठों में पर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए 2021 से संयुक्त रूप से किए जा रहे प्रयासों के तहत एक प्रोजेक्ट के रूप में किया गया जिसे भीलवाड़ा), तेरे देश होम्स-(जर्मनी) और जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त समर्थन के अंतर्गत किया गया ।

इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वालों में प्रमुख रूप से श्रमिक कार्यकर्ता, ईंट भट्ठों के मजदूर, ईंट भट्ठों के मालिक, यूनियन के नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जैसे लोकहितकारी संगठनों के सदस्य जैसे टाटा ट्रस्ट, नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल श्रम के कर्मचारी आदि शामिल हुए!

पहले दिन के सत्र के प्रारम्भ में सीईसी की कार्यकारी निदेशक लोकेश ने कंसल्टेशन के सम्पूर्ण उद्देश्य के बारे में एक संक्षिप्त संदर्भ रखा, इसके पश्चात ईंट भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों व महिलाओं के पोषण, के महत्त्व पर प्रकाश डाला, तथा उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठा श्रमिकों के अधिकारों पर काम करने के अपने वर्षो के अनुभवों के आधार पर काम की परिस्थिति और सम्मानजनक काम के महत्त्व को उजागर किया!

सत्र को आगे बढ़ाते हुए डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें राज्य के ईंट भट्ठा मजदूरों और उनके परिवार की स्थिति को संयुक्त रूप से दिखाया गया! इक संस्था की सह-निर्माता और कार्यकारी निदेशक श्रीमति भारती अली जी ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठों में किए गए एक शोध अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करते हुए कंसल्टेशन के उद्देश्य को बताया। उनके अध्ययन में यह पाया गया की ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के सन्दर्भ में डाटा की कमी है, भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों को एक से दूसरे भट्ठों पर काम पर जाने के कारण प्रवास की स्थिति झेलनी पड़ती है परिणामस्वरूप उनके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में कमी आ जाती है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर एक तंत्र का अभाव है!

पहले सत्र की शुरूआत फतेहपुर में ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिला मजदूर मालती और निर्मला से हुई, उन्होंने बताया की भट्ठों पर सुरक्षा, स्वच्छता और शौचालय की सुविधा का अभाव रहता है! सत्र की पहली वक्ता, बंसुरी नाग, आईएलओ में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधक, ने ईंट भट्ठा श्रमिकों के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल श्रम पर कानूनी ढांचे/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताये, उन्होंने बाल श्रम पर वैश्विक अनुमानों को रेखांकित करते हुए, विभिन्न श्रेणियों जैसे आयु समूहों और लिंग के तहत बच्चों की स्थिति को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को साझा किया। आई एल ओ के मिशन को साझा करते हुए, उन्होंने बाल श्रम के मूल कारणों से निपटने के साधन के रूप में श्रम मानकों और सम्मानजनक कार्य, स्थिर आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया।

राज्य संसाधन प्रकोष्ठ कार्यालय श्रम आयुक्त के राज्य नोडल अधिकारी सैयद रिजवान अली ने बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 की विस्तृत व्याख्या की । सुधीर कटियार, संस्थापक सदस्य और निदेशक, श्रम केंद्र , रिसर्च एंड एक्शन, ने गुजरात में ईंट भट्ठा मजदूर यूनियन द्वारा किये गए निरंतर प्रयासों, सुधारों और उनके प्रभाव को साझा किया।

जहां गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयासों द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी की दर में सुधार हुआ है, वहीं जमीनी स्तर पर इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रतिभागियों के साथ अपनी चिंताओं को उठाने और जमीनी स्तर के कार्य अनुभवों के आधार पर अपने दृष्टिकोण को साझा करने के साथ खुली चर्चा के बाद, टाटा ट्रस्ट की श्रीमति अमिता जैन ने आईसीडीएस योजना और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विवरण देते हुए सत्र को आगे बढ़ाया। कंसल्टेशन में भाग लेने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर अपने किये गए काम के आधार पर, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों की जरूरतों के अनुसार योजना को उत्तरदायी बनाने के तरीकों की पहचान करने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाया । श्री भानुजा शरण, कार्यकारी निदेशक एमएसईएसवीएस और राज्य संयोजक सीएसीएल उत्तर प्रदेश, ने सामूहिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से इस अंतर को खत्म करने की संभावना पर जोर देते हुए, ईंट भट्ठा मजदूरों के लिए राज्य विशिष्ट सरकारी योजनाओं और उन तक पहुंचने में श्रमिकों के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने की स्पष्ट समझ विकसित करने में प्रतिभागियों की मदद की।

स्टेट कलेक्टिव फॉर राइट टू एजुकेशन के विनोद कुमार सिन्हा ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की स्थापना से लेकर इसे बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के अपने अनुभव साझा किये । उन्होंने ईंट भट्ठों पर प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा और अधिकारों को बनाए रखने की क्षमता रखने वाली विशेष योजनाओं जैसे -शारदा योजना, बाल श्रम विद्या योजना तथा अन्य विशिष्ट कल्याणकारी उपायों की जानकारियां प्रतिभागियों को प्रदान की । दिन का समापन श्री बी.के. राय, रिटा. उप. श्रम आयुक्त ने ईंट भट्ठों पर महिला श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं, उचित पोषण और देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच, शिशु देखभाल के लिए क्रेच की सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कंसल्टेशन के दूसरे दिन की शुरूआत समूह चर्चा के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ एक संयुक्त कार्य योजना विकसित करने, उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने और बच्चों की शिक्षा और अन्य अधिकारों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पैनल चर्चा के साथ हुई। जिसमें भविष्य में ईंट भट्ठा श्रमिकों और उनके परिवारों के सामने आने वाली विशिष्ट जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोगात्मक हस्तक्षेप को विकसित करने और निष्पादित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया, परामर्श को समापन की ओर ले जाते हुए आगे के रास्ते की चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा के साथ संपन्न किया गया।